<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 21 / 15</u> संस्थापन दिनांक:-30 / 01 / 15 फाईलिंग नं. 233504001392015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

प्रदीप पिता सखाराम गव्हाड़े, उम्र 35 वर्ष, निवासी कुंबी मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.11.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) सहपित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 17.01.2015 को दिन 02:20 बजे या उसके लगभग कुंबी चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 17.01. 2015 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त कुंबी मोहल्ला चौक आमला में हाथ में छुरी लिये आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने घेराबंदी का अभियुक्त को पकड़ा और अभियुक्त की तलाशी पर उसके पास एक लोहे की छुरी मिली जिसे रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की धारदार छुरी जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 32/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2015 को दिन 02:20 बजे या उसके लगभग कुंबी चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 17.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कर्स्वा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ कुंबी मोहल्ला आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात पेश न करने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल—ए की छुरी को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।
- 6 यादोराव (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। शेख अलीम (अ.सा.—3) ने भी अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट

नहीं हुआ है।

- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—1) एवं शेख अलीम (अ. सा.—3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में हमराह आरक्षक प्रशांत के साथ करबा भ्रमण के दौरान सूचना प्रापत होने पर मौके पर जाकर अभियुक्त प्रदीप से छूरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करना तथा थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसके द्वारा जप्तशूदा आयुध की नाप किससे की गयी थी उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं है तथा यह भी सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में सीलबंध किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती और गिरफ़तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से जप्तशुदा आयुध सीलबंध किया जाना तथा उसकी नापजोप किससे की गयी प्रकट नहीं हो रहा है और न ही इनके संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी के कथनों प्रकट हो रहा है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 14:00 बजे एवं गिरफतारी 14:05 बजे किया जाना प्रकट हो रहा है। पांच मिनट में जप्ती की कार्यवाही पूर्ण की जाना यद्यपि असंभव नहीं है परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। अतः निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2015 को दिन 02:20 बजे या उसके लगभग कुंबी चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12½ इंच, चौडाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना

क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त प्रदीप को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)